

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

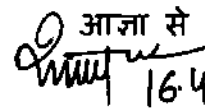
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश./९९०/2020

दिनांक : 16.04.2020

श्रीमती संगीता (RJ1235), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-12, जयपुर महानगर को दिनांक 01.04.2020 से 27.09.2020 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री निधि शर्मा-II (RJ1075), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-13, जयपुर महानगर को श्रीमती संगीता के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-12, जयपुर महानगर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे
- (2) सुश्री निधि शर्मा-II (RJ1075), जिनको विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-12, जयपुर महानगर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से  
 16.4.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/22/2019/ 2081

दिनांक : 16.04.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 3063 दिनांक 21.03.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती संगीता (RJ1235), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-12, जयपुर महानगर।
4. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-12, जयपुर महानगर।
5. सुश्री निधि शर्मा-II (RJ1075), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-13, जयपुर महानगर।
6. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-13, जयपुर महानगर।
8. संबंधित कोषालय।
9. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

 16.4.2020  
सहायक रजिस्ट्रार